संख्या-15/2015/563/61-2015-32/3-2015(नि-3)

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0,
लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर,2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के व्यय हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय संख्या-13/2015/बी-2-2580/दस-2015-244/2015 दिनांक 26 अगस्त, 2015 के संदर्भ में तथा वित्तीय वर्ष 2015-12016 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष स्वीकृतियॉ जारी करने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/ दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2015 -निर्वाचन-आयोजनेत्तर के अधीन व्यय हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल रू0 30,00,00,000/- (रू0 तीस करोड मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-41 धनरराशि रू0 में

लेखाशीर्षक	व्यय हेतु जारी की जा रही धनराशि
2015- निर्वाचन आयोजनेत्तर	
103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण 03- विधान सभा एवं संसद 07-मानदेय 05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	 20,00,00,000 6,00,00,000
योग,103	26,00,00,000

http://shasanadesh.up.nic.in

105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार 03- सामान्य निर्वाचन 08- कार्यालय व्यय 42- अन्य व्यय	 3,00,00,000 50,00,000
योग,03	3,50,00,000
योग,105	3,50,00,000
106-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार 03- सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा 11-लेखन सामग्री और फामों की छपाई	 50,00,000
योग,03	50,00,000
योग,106	50,00,000
कुल योग,2015	30,00,00,000

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि धनराशियों का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासन के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उन मदों पर व्यय तभी किया जाये जब उसमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करली गयी हो।

3- शसन द्वारा समय-समय पर मितव्ययिता सम्बन्धी आदेश जारी किये जाते हैं। कृपया इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करत हुए शासन के व्यय में अपव्यय को रोका जाए तथा मितव्ययिता की जाए।

भवदीय,

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/563(1)/61-2015 तददिनांक ।

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काय्रवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
4- संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग'1/2
7- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(एस0पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shashanadesh.up.nic.in